न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम0के0 सिंह
सदस्य

निगरानी प्र0 क0 612–तीन/2009 विरूध्द आदेश दिनांक 16–04–09 पारित अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना प्रकरण कमांक 86/08–09 अपील.

1– रामेश्वर सिंह पुत्र दीनानाथ गुर्जर
2– रामजीलाल पुत्र दीनानाथ गुर्जर
3– रामभजन पुत्र दीनानाथ गुर्जर
4– रामनारायण पुत्र दीनानाथ गुर्जर
समस्त नि0 ग्राम जरारा, तह0 व जिला
मुरैना, म0प्र0

––– आवेदकगण

विरूध्द

हटीसिंह पुत्र तेजसिंह गुर्जर
नि0 ग्राम जरारा, तह0 व जिला
मुरैना, म0प्र0

––– अनावेदक

श्री एस0के0 अवस्थी, अभिभाषक – आवेदकगण
श्री श्रीकृष्ण शर्मा, अभिभाषक– अनावेदक

आदेश

(आज दिनांक २८, अप्रैल, ,2015 को पारित)

यह निगरानी का आवेदनपत्र मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के अपील प्रकरण कमांक 86/08–09 में पारित आदेश दिनांक 16–04–09 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि आवेदकगण रामेश्वरसिंह आदि ने इस आशय का आवेदनपत्र तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया कि आवेदकगण

ग्राम जरारा स्थित भूमि सर्वे क0 361/6 रकबा 2.08 हे0 पर पूर्वजों के समय से काबिज होकर खेती कर रहे हैं, किन्तु नवीन बन्दोवस्त के समय यह भूमि अनावेदक हटीसिंह के नाम अंकित हो गयी है जबकि उक्त भूमि पर उसका कोई संबंध नहीं है। अतः उन्होंने अभिलेख में सुधार करने का अनुरोध किया। अति0 तहसीलदार ने संहिता की धारा 115/116 के अन्तर्गत प्रकरण पंजीबध्द कर कार्यवाही प्रारम्भ की और आवश्यक कार्यवाही के पश्चात अपने आदेश दिनांक 22–05–03 व्दारा प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदकगण का नाम इन्द्राज कर अभिलेख दुरूस्त करने के आदेश दिये।

3/ उक्त आदेश के विरूध्द अनावेदक हटीसिंह व्दारा अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील समयावधि बाह्य होने संबंधी आपत्ति प्रस्तुत करने पर अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 23–05–08 में लिमिटेशन के बिन्दू का निराकरण अंतिम आदेश में किये जाने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूध्द आवेदकगण व्दारा निगरानी कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर कलेक्टर, मुरैना ने अपने आदेश दिनांक 10–09–08 व्दारा प्रकरण इस निर्देश के साथ अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यावर्तित किया कि सर्वप्रथम समयावधि के बिन्दू का निराकरण किया जाय। अनुविभागीय अधिकारी ने समयावधि के बिन्दू पर उभय पक्ष को सुनने के बाद अपने आदेश दिनांक 20–10–08 व्दारा अपील समयावधि बाह्य मानकर खारिज की। इस आदेश के विरूध्द अनावेदक हटीसिंह व्दारा व्दितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत करने पर अपर आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 16–04–09 व्दारा अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये। अतः आवेदकगण व्दारा यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गयी है।

3/ मैने अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष के विव्दान अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक विचार

किया। आवेदकगण के अभिभाषक ने निगरानी में यह मुद्दा उठाया है कि तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 22–05–03 के विरूध्द अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 07–09–07 को अपील प्रस्तुत की गयी है जो स्पष्टतः समयावधि बाह्य थी। अनुविभागीय अधिकारी ने समग्र स्थिति पर विचार कर अपील को समयावधि बाह्य माना है जिसे निरस्त करने मं अपर आयुक्त व्दारा भूल की है। अनुविभागीय अधिकारी ने प्रथम अपील में प्रकरण के गुण–दोष पर कोई विचार नहीं किया तथा मात्र अवधि के प्रश्न पर निर्णय दिया, इस कारण व्दितीय अपील में प्रकरण के गुण–दोष पर विचार कर अपर आयुक्त व्दारा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त करने में त्रुटि की है। अपर आयुक्त व्दारा अपने आदेश समयावधि के बिन्दू पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला गया है। फर्जी व्यक्ति के अभिकथन से फर्जी होना नहीं माना जा सकता, बल्कि फर्जी सिध्द करने का भार अनावेदक पर था जिसे पूरा नहीं किया गया। अतः उन्होंने निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया है।

4/ अनावेदक के अभिभाषक का तर्क है कि तहसीलदार को संहिता की धारा 115/116 के अन्तर्गत बेसिक भूमिस्वामी को हटाकर दूसरे को भूमिस्वामी अंकित करने का अधिकार नहीं है। तहसील न्यायालय में अनावेदक हटीसिंह का कोई बयान नहीं हैं। विलम्ब को माफ करने समयावधि विधान की धारा 5 का आवेदन अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया है जिसका कोई खंडन नहीं किया गया, इसलिये अनुविभागीय अधिकारी व्दारा अपील समयावधि बाह्य मानकर खारिज करने में त्रुटि की गयी है। उनका तर्क है कि अपर आयुक्त व्दारा सम्पूर्ण प्रकरण पर विचार कर विधिवत आदेश पारित किया है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। अतः उन्होंने निगरानी खारिज करने का अनुरोध किया।

5/ जबाव में आवेदकगण के विव्दान अभिभाषक का तर्क है कि तहसील न्यायालय के अभिलेख पृष्ठ 11 पर हटीसिंह का कथन है जिसमें उसने

अभिलेख सुधार करने की सहमति दी है। तहसीलदार को नामान्तरण की अधिकारिता है।

6/ अनुविभागीय अधिकारी के अभिलेख से स्पष्ट है कि अति0 तहसीलदार के आदेश दिनांक 22–05–03 के विरूध्द अनावेदक हटीसिंह व्दारा दिनांक 07–09–07 को अपील आवेदनपत्र अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया। समयावधि विधान की धारा 5 के आवेदनपत्र में हटीसिंह ने विलम्ब का कारण आदेश की कोई जानकारी नहीं होना तथा अधीनस्थ तहसील न्यायालय में उपस्थित नहीं होना और ना ही कथन देना दर्शाया है। इस आवेदनपत्र का जबाव आवेदकगण व्दारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया है जो अनुविभागीय अधिकारी के अभिलेख पृष्ठ 18–19 पर है। जबाव में हटीसिंह को आदेश की जानकारी प्रारम्भ से होना और हटीसिंह व्दारा स्वयं अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर अपना कथन रेस्पोन्डेन्ट्स/आवेदकगण के हित में देना अंकित किया है। ऐसी दशा में अनावेदक अभिभाषक का यह तर्क कि समयावधि विधान की धारा 5 के आवेदनपत्र का खण्डन नहीं किया गया, मान्य किये जाने योग्य नहीं है। तहसील न्यायालय के अभिलेख पृष्ठ 11 पर अनावेदक हटीसिंह पुत्र तेजसिंह का बयान उपलब्ध है जिसमें उसने प्रश्नाधीन भूमि पर से मेरा नाम निरस्त कर आवेदकगणों का नाम भूमिस्वामी इन्द्राज दुरूस्ती किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना बताया है। प्रथम अपीलीय न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश में विवेचना के पश्चात यह निष्कर्ष निकाला है कि हटीसिंह को अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही की जानकारी यथा समय से थी। अतः अनुविभागीय अधिकारी व्दारा अपील समयावधि बाह्य होने से खारिज की गयी। अपर आयुक्त ने हटीसिंह के इस कथन के आधार पर कि वह अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं रहा और उसके स्थान पर अन्य कोई फर्जी व्यक्ति को खड़ा करके अनुचित लाभ प्राप्त किया गया है, के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखे

जाने योग्य नहीं माना है, किन्तु तहसील न्यायालय में दिये गये बयान में अंकित हटीसिंह के हस्ताक्षर किस कारण व किस प्रकार फर्जी है, इस संबंध में कोई भी प्रमाण या साक्ष्य ना तो अधीनस्थ न्यायालय में ही प्रस्तुत की गयी और ना ही अपर आयुक्त के समक्ष ही प्रस्तुत की गयी, इस कारण सिर्फ कथन के आधार पर विचारण न्यायालय की कार्यवाही को संदिग्ध मानना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता। अनावेदक हटीसिंह व्दारा स्वयं अपने बयान तहसील न्यायालय में लिपिबध्द कराया है, इसलिये अनावेदक को प्रकरण की जानकारी तत्समय से होना मानने में अनुविभागीय अधिकारी व्दारा कोई त्रुटि नहीं थी। विलम्ब को न्यायहित में तभी माफ किया जा सकता है जब विलम्ब का समुचित स्पष्टीकरण प्रमाण सहित प्रस्तुत किया जाय किन्तु अनावेदक हटीसिंह व्दारा 4 वर्ष से भी अधिक विलम्ब का कोई समुचित स्पष्टीकरण नहीं दिया गया, इसलिये अपील समयावधि बाह्य होने से खारिज करने में अनुविभागीय अधिकारी व्दारा कोई गलती नहीं की गयी थी। चूँकि प्रथम अपीलीय अधिकारी व्दारा प्रकरण के गुण–दोष पर विचार कर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला गया था, इस कारण व्दितीय अपील में अपर आयुक्त व्दारा गुण–दोष पर विचार नहीं किया जा सकता था, इसलिये गुण–दोष पर व्दितीय अपील में निकाले गये निष्कर्ष स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाता है। अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 16–04–09 निरस्त किया जाता है। परिणाम स्वरूप अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 20–10–08 एवं अपर तहसीलदार का आदेश दिनांक 22–05–03 यथावत रखा जाता है।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,म0प्र0